भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1086
22 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं का नाम बदलना

1086. श्री नकुल के. नाथ:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उक्त मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके नाम 2014 के बाद बदल दिये गए हैं; और

(ख) 2014 से संबंधित योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित करता है, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:-

(1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
(2) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)
(3) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई)
(4) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
(5) राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
(6) मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना
(7) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, आदि।

वर्ष 2014 के बाद इनमें से किसी भी योजना का नाम नहीं बदला गया है। इन योजनाओं का वर्ष-वार बजटीय आवंटन अनुलग्नक-I में है।

अनुलग्नक-I

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय निर्गत
2014-15	-	18288.50
2015-16	-	18065.50
2016-17	-	18424.43
2017-18	-	25465.28
2018-19	-	24998.81
2019-20	-	28939.64
2020-21	-	29,455.72
2021-22	-	28,033.63
2022-23	28519.71	6,391.45

2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु. में)
2014 – 15	1956.00
2015 – 16	2206.00
2016 – 17	2450.00
2017 – 18	3975.00
2018 – 19	3825.00
2019 - 20	4000.00
2020 - 21	6020.00
2021 – 22	7000.00
2022 - 23	10000.00

3. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु. में)	संशोधित अनुमान (करोड़ रु. में)
2018-19	2400.00	2160.00

2019-20	6400.00	3200.00
2020-21	6400.00	3130.00
2021-22	6400.00	3100.00
2022-23	6412.0	

4. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु. में)
2021-22	262.28
2022-23	359.82

5. राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

वित्तीय वर्ष	निर्गत सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)
2015-16	शून्य (कोई निधि आवंटन नहीं था)
2016-17	बीई- रु. 29.01 करोड़ (पूरी राशि निर्गमित)
2017-18	बीई- 52.35 करोड़ रुपये (पूरी राशि निर्गमित)
2018-19	बीई- 206 करोड़ रुपये (179.27 करोड़ रु. निर्गमित)
2019-20	बीई- 206 करोड़ रुपये (206 करोड़ रु. निर्गमित)
2020-21	बीई- 175 करोड़ रुपये (114.67 करोड़ रु. निर्गमित)
2021-22	बीई- 175 करोड़ रुपये (60.88 करोड़ रु. निर्गमित)

6. मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष	बजट आवंटन	
			बी.ई.	आर.ई./एफ.ई.
1.	नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना	2014-15	145.17	149.53
		2015-16	0	531.20
		2016-17	445.00	1293.69
		2017-18	3300.00	3300.00
		2018-19	2887.68	3167.68
		2019-20	2000.00	0

2.	सरकारी मेडिकल कॉलेज (यूजी सीटें) और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाना	2015-16	0	50.00
		2016-17	110.00	155.00
		2017-18	480.00	480.00
		2018-19	794.07	794.07
		2019-20	1361.00	0
3.	राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज (पीजी सीटें) का उन्नयन	2016-17	10.00	20.00
		2017-18	165.00	165.00
		2018-19	452.25	172.25
		2019-20	800.00	00
4.	नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं सीटों में वृद्धि*	2020-21	4686.00	5386.00
		2021-22	4800.00	5386.00
		2022-23	7500.00	-

***** वर्ष 2020-21 में**,** उपर्युक्त तीनों योजनाओं को मिला दिया गया है और "नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि" नाम दिया गया है।

7. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, (नाको):

वित्तीय वर्ष	निम्न के अधीन आवंटित निधि		वास्तविक व्यय
	बीई	आरई	
2012-13	1700.00	1759.56	1316.07
2013-14	1785.00	1500.00	1473.16
2014-15	1785.00	1300.00	1287.39
2015-16	1397.00	1615.00	1605.72
2016-17	1700.00	1753.00	1749.16
2017-18	2000.00	2163.06	2009.76
2018-19	2100.00	1925.00	1803.19
2019-20	2500.00	2956.00	2806.00
2020-21	2900.00	2900.00	2815.47
2021-22	2900.00	2349.73	2126.33
2022-23	2625.72	-	363.86*

*15 जुलाई, 2022 तक वास्तविक व्यय।

****